न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर

विविध वाद–15 / 2025

विनोद कुमार चौबे – आवेदक
बनाम्
बिहार सरकार वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

24.05.2025

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–15 / 2025 मूल स्वत्व वाद सं0–577 / 2023 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–577 / 2023 जो दिनांक–20.02.2025 को अदम पैरवी में खारिज हो गया है उसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक / प्रार्थी द्वारा विविध वाद संख्या–15 / 2025 दाखिल किया गया है। वादी का तारीख दिनांक–20.02.2025 को था परन्तु वादी का तबियत खराब हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अधिवक्ता लिपिक के द्वारा हाजिरी नहीं दिया गया जिस कारण से न्यायालय द्वारा अदम पैरवी में मुकदमा खारिज कर दिया गया। मुकदमा खारिज होने से आवेदक को काफी क्षति होने संभावना है। मुकदमा को पुनर्जीवित करने हेतु आवेदक / प्रार्थी अन्डर टेक करता है कि भविष्य में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होगी। वाद के सुनवाई में आवेदक / प्रार्थी हमेशा सहयोग करेंगे वो अदालत के हर एक आदेश का अनुपालन में आवेदक / प्रार्थी किसी तरह का लापरवाही नहीं बरतेंगे। अतः निवेदन है कि आवेदक का मुल नंबरी वाद संख्या–577 सन् 2023 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–15 / 2025 मूल स्वत्व वाद संख्या–577 / 2023 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। मूल स्वत्व वाद सं0 577 सन् 2023 के आदेश फलक के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु लंबित था जिसमें नजारत के द्वारा तामिला प्रतिवेदन संलग्न है। जिसके पश्चात् दिनांक–04.09.2024 को वादी की पैरवी थी किन्तु पुकार पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। उसी प्रकार अग्रिम तिथि 17.10.2024 एवं 21.11.2024 को भी वादी अनुपस्थित रहे। किंतु आवेदक दिनांक–20.02.2025 को न्यायालय में नहीं उपस्थित नहीं रहने का कारण अपनी तबियत खराब होना बताया है जबकि इसके संबंध में किसी

प्रकार का कोई चिकित्सीय पूर्जा इत्यादि दाखिल नहीं किया गया है। किंतु अभिलेख पर उप. स्थित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में जहां वाद में प्रतिवादी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं यदि इस वाद को पुनर्जीवित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के क्षति का. रित होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। वहीं यदि वाद को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो पक्षकारों के मध्य विवादित बिन्दु का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। अतः मूल वाद संख्या–577/2023 में निहित विवादित बिन्दुओं को निस्तारित करने हेतु वादी को एक मौका देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या 15/2025 को न्यायहित में 2500/–रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत करते हुए मूल वाद संख्या 577/2023 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

लेखापित

सब जज–तृतीय